तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाबूसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम माण्डा, पोस्ट माण्डा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.) **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत प्रथम सूचना अपील संख्या :– 58 / 2024 . जीसीएमएस नं. :– 2024 / 86 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	
08.08.2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने जरिये पत्रांक /सू.अधि./2024/1269 दिनांक 06.06.2024 को इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 956 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया कि अपीलार्थी द्वारा यदि वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टियों का स्पष्ट अंकन कर दे तो अपीलार्थी को सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जायेगी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना के संबंध में सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक **08.08.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	